न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. अशोक कुमार RAS

अपील संख्या : 35 / 2020

सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामेश्वर, जाति—हरियाणा ब्राम्हण, निवासी—ग्राम जाटावाली, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

1. कैलाश पुत्र श्री बोदूराम, जाति—हरियाणा ब्राम्हण, निवासी—ग्राम जाटावाली, तहसील चौमू, जिला—जयपुर।
2. बंशीधर पुत्र श्री बोदूराम, जाति—हरियाणा ब्राम्हण, निवासी—ग्राम जाटावाली, तहसील चौमू, जिला—जयपुर।
3. राजेन्द्र पुत्र श्री बोदूराम, जाति—हरियाणा ब्राम्हण, निवासी—ग्राम जाटावाली, तहसील चौमू, जिला—जयपुर।
4. प्रेम देवी पुत्री श्री बोदूराम, जाति—हरियाणा ब्राम्हण, निवासी—ग्राम जाटावाली, तहसील चौमू, जिला—जयपुर।
5. मंजू देवी पुत्री श्री बोदूराम, जाति—हरियाणा ब्राम्हण, निवासी—ग्राम जाटावाली, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।
6. प्रभाती देवी पत्नी श्री बोदूराम, जाति—हरियाणा ब्राम्हण, निवासी—ग्राम जाटावाली, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।
7. नायब तहसीलदार, चौमू, जिला—जयपुर।

रेस्पोडेंट्स,

(अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 648 दिनांक 22.06.2020 बाबत् आराजी ख0नं0 872 व 393 जो प्रत्यर्थी स0 1 लगा0 6 के पक्ष में स्वीकृत किया है।)

उपस्थितः—

1. श्री सुमेर सैनी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ग्यारसी लाल जाट, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 6 की ओर से।
3. पेरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 23.02.2021**

अपीलान्ट द्वारा ग्राम जाटावाली स्थित आराजी ख0नं0 872 व 393 का नामान्तरकरण सं0 648 दिनांक 22.06.2020 विधि विरूद्ध रूप तस्दीक किये जाने पर यह अपील पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर रेस्पोडेन्ट को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार, चौमू से वादग्रस्त प्रकरण से संबंधित मूल रिकार्ड प्राप्त किया गया।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी।

अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्व ग्राम जाटावाली पटवार हल्का जाटावाली, तहसील—चौमू स्थित आराजी ख0नं0 872 रकबा 0.43 हे0 तथा ख0नं0 393 रकबा 0.02 हे0 की खातेदारी अपीलान्ट एवं बोदू पुत्र रूडा के नाम दर्ज रिकार्ड थी। वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट द्वारा विभाजन का वाद पत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू के समक्ष दिनांक 11.05.2016 को पेश किया गया जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। उपखण्ड अधिकारी, चौमू में प्रस्तुत वाद में तहसीलदार, चौमू भी प्रतिवादी सं0 3 के रूप मे बतौर पक्षकार संयोजित थे, परन्तु इसके बावजूद तहसीलदार, चौमू द्वारा वादग्रस्त नामान्तरकरण सं0 648 दिनांक 30.05.2020 को भरकर बिना सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 22.06.2020 को स्वीकृत कर दिया गया। वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अपीलान्ट द्वारा राजस्व वाद बाबत् विभाजन उपखण्ड अधिकारी, चौमू के समक्ष दिनांक 11.05.2016 को प्रस्तुत किया गया था, जिसके साथ प्रार्थना पत्र बावत् अस्थाई निषेधाज्ञा सं0 64/2016 बउनवानी सुरेन्द्र कुमार बनाम बोदू वगै0 प्रस्तुत किया गया था। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर दिनांक 11.05.2016 को अन्तरिम व्यादेश पारित कर प्रकरण में भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये थे। वादपत्र में प्रतिवादी सं0 1 बोदू की तामिल होने के पश्चात् भी बोदू द्वारा प्रकरण में जवाबदेही की गई तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 27.05.2007 को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्षों को सुनते हुए दिनांक 11.05.2016 को तकासमा होने तक वादग्रस्त आराजी की मौके एवं रिकार्ड की ताफैसला यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये गये थे। जिसके संबंध में प्रतिवादी सं0 1 बोदू द्वारा कभी भी उच्चतर न्यायालय के समक्ष चुनौती नही दी गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा वादग्रस्त भूमि की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये थे। वाद में तहसीलदार, चौमू भी बतौर पक्षकार संयोजित थे। इसके बावजूद उनके द्वारा निषेधाज्ञा के आदेश पारित होने के बाद भी वादग्रस्त नामान्तरकरण सं0 648 दिनांक 22.06.2020 स्वीकृत कर दिया। तहसीलदार, चौमू द्वारा नामान्तरकरण सं0 648 को अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी स्थाई निषेधाज्ञा के बावजूद स्वीकृत किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर वादग्रस्त नामान्तरकरण सं0 648 दिनांक 22.06.2020 अपास्त किया जावें।

विद्वान् अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम जाटावाली स्थित हाल ख0नं0 872 रकबा 0.43 हे0 भूमि रेस्पोडेन्ट के पिता/पति बोदू पुत्र रूडा जाति–जाट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। रेस्पोडेन्ट के पिता/पति बोदू का निधन दिनांक 05.12.2017 को हुआ था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा दिनांक 11.05.2017 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई थी कि उभयपक्षो को जरिये अन्तिरम अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ख0नं0 872 रकबा 0.43 हे0 वाके ग्राम जाटावाली तहसील चौमू जिला–जयपुर की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे, नवीन निर्माण व नवीन बैचान नही करें। पूर्व के बैचान व विरासत म्युटेशन पर प्रतिबंध नही रहेगा। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा विरासत के नामान्तरकरण को खोलने पर अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोक नही लगाई गई थी जिसके कारण तहसीलदार, चौमू द्वारा विधिक रूप से नामान्तरकरण सं0 648 दिनांक 22.06.2020 तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमनें पेरोकार सरकार की बहस सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू में दायर टी.आई. प्रकरण सं0 64/2016 उनवानी सुरेन्द्र कुमार बनाम बोदू में अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.05.2016 में आराजी ख0नं0 872 रकबा 0.43 हे0 की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये जाने के आदेश जारी किये गये थे, परन्तु विरासत के म्युटेशन पर प्रतिबंध नही होने के कारण तहसीलदार, चौमू के द्वारा विधि अनुरूप नामान्तरकरण सं0 648 दिनांक 22.06.2020 स्वीकृत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मीमों में यह तथ्य अंकित किया है कि उपखण्ड अधिकारी, चौमू के समक्ष एक विभाजन का दावा दिनांक 11.05.2016 को प्रस्तुत किया गया था। जिसके साथ

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण सं0 64/2016 बउनवानी सुरेन्द्र कुमार बनाम बोदू वगै0 प्रस्तुत की गई थी। जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 11.05.2016 को अन्तरिम आदेश पारित कर भूमि के संबंध में मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखने के आदेश जारी करने पर भी वादग्रस्त नामान्तरकरण तहसीलदार, चौमू द्वारा स्वीकृत किये जाने पर यह अपील पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में तथ्यों को छुपाते हुए यह अपील पेश की है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू में प्रस्तुत टी.आई प्रकरण सं0 64/2016 बउनवानी सुरेन्द्र कुमार बनाम बोदू में उल्लेखित सम्पूर्ण आदेश को उल्लेखित नही करते हुए केवल मात्र मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का उल्लेख करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू के सम्पूर्ण निर्णय का उल्लेख नही किया है, जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा दिनांक 11.05.2016 को दी गई अस्थाई निषेधाज्ञा में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि विरासत के म्यूटेशन पर कोई प्रतिबंध नही रहेगा। इसके पश्चात् आदेश दिनांक 27.05.2017 मे वादग्रस्त भूमि की तकासमा होने तक भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करते हुए पूर्व आदेश दिनांक 11.05.2016 को ताफैसला स्थाई किया गया है अर्थात् मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के अतिरिक्त पूर्व के बैचान व विरासत के म्यूटेशन पर प्रतिबंध नही रहने की पुष्टि भी की गई है। इस प्रकार तहसीलदार, चौमू द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू के स्थगन आदेश की कोई अवहेलना नही की गई है। तहसीलदार, चौमू द्वारा विरासत का नामान्तरकरण पर रोक नही होने के कारण नियमानुसार बोदूराम के वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण सं0 648 दिनांक 22.06.2020 तस्दीक किया गया है।

अतः उक्त विवचेनानुसार तहसीलदार, चौमू द्वारा नामान्तरकरण सं0 648 दिनांक 22.06.2020 विधि अनुसार तस्दीक किया गया है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.02.2021 को सुनाया गया।

23.2.21

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर